छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग,
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

//अधिसूचना//

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक सितम्बर, 2021

क्रमांक एफ 20-90/2019/11/6 : चूंकि, राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है,

1/ अतएव राज्य शासन एतद् द्वारा इस विभाग द्वारा जारी ''छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक नीति 2019-24 में संशोधन हेतु जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 20-01/2019/11/(6) दिनांक 22 अक्टूबर 2020 के दिनांक से अंकित संशोधन क्रमांक-19 (उन्नीस) के अनुसरण में राज्य में स्टार्ट-अप को प्रोत्साहित करने के लिए जोडे गये परिशिष्ट-(6.21) के अनुसार **''छत्तीसगढ़ राज्य स्टार्ट-अप पैकेज''** के क्रियान्वयन के लिए निम्नलिखित प्रावधान, नियम एवं शर्तों लागू की जाती हैं :-

छत्तीसगढ़ राज्य स्टार्ट-अप पैकेज

1. **परिभाषाएं :-**

स्टार्ट-अप की वही परिभाषा मान्य होगी, जो भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा दिनांक 19 फरवरी, 2019 को अधिसूचित की गई है। इसके अनुसार किसी एकक/इकाई को निम्नानुसार स्टार्ट-अप माना जायेगा :-

(क) उसके निगमीकरण/पंजीकरण की तारीख से 10 वर्ष की अवधि तक, यदि यह भारत में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी (कंपनी अधिनियम, 2013 में यथा परिभाषित) के रूप में निगमित हो अथवा एक भागीदार फर्म (भागीदार अधिनियम 1932 की धारा 59 के तहत पंजीकृत) के रूप में पंजीकृत हो अथवा एक सीमित देयता भागीदारी (सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के तहत) के रूप में पंजीकृत हो।

(ख) निगमीकरण/पंजीकरण के समय से किसी भी वित्तीय वर्ष में एकक/इकाई का कुल कारोबार सौ करोड़ रूपए से अधिक न हो।

(ग) यदि यह उत्पादों या प्रक्रियाओं या सेवाओं के अभिनवीकरण, विकास या सुधार के संबंध में कार्य कर रही है अथवा यह रोजगार सृजन या धन की सृजन की उच्च संभावना वाला एक स्केलेबल व्यावसायिक मॉडल है।

पूर्व से विद्यमान किसी व्यवसाय के विभाजन या उसके पुनर्निर्माण के माध्यम से बनाई गई किसी एकक/इकाई को 'स्टार्ट-अप' नहीं माना जाएगा।

2 स्पष्टीकरण :-

1. कोई एकक/इकाई अपने निगमीकरण/पंजीकरण की तिथि से दस वर्ष पूरे होने पर अथवा किसी विगत वर्ष में कारोबार 100 करोड़ रूपये से अधिक होने पर ''स्टार्ट-अप'' के रूप में नहीं माना जाएगा।

2. एकक/इकाई का अर्थ है - कोई निजी लिमिटेड कंपनी (कंपनी अधिनियम, 2013 में यथा परिभाषित), अथवा पंजीकृत साझेदारी फर्म (साझेदारी अधिनियम, 1932 के खण्ड 59 के तहत् पंजीकृत) या लिमिटेड देयता साझेदारी (लिमिटेड देयता साझेदारी अधिनियम, 2008 के अंतर्गत पंजीकृत)।

3. कारोबार का अर्थ, कंपनी अधिनियम 2013 में परिभाषित (भारत सरकार द्वारा समय समय पर परिभाषा में किये जाने वाले संशोधन सहित) किए अनुसार मान्य होगी।

4. भारत सरकार के उद्योग संवर्धन तथा आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप को ही मान्य किया जाएगा।

5. औद्योगिक नीति 2019-24 में दिए गये प्रावधान अनुसार राज्य की स्टार्ट-अप इकाईयों को अनुदान/छूट का लाभ प्राप्त करने के पूर्व छत्तीसगढ़ स्टार्ट-अप पोर्टल में पंजीयन किया जाना अनिवार्य है।

छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित एवं भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में पंजीकृत एवं वैध प्रमाण पत्र धारित करने वाले स्टार्टअप इकाईयों को औद्योगिक नीति 2019-24 में कंडिका 12 में दिए गए प्रावधानों के तहत् स्टार्ट-अप पैकेज लागू किया जाता है तथा ऐसी इकाईयों को औद्योगिक नीति 2019-24 के तहत् निम्न अनुदान छूट एवं रियायतें प्राप्त होंगी :-

1. **ब्याज अनुदान :-**

उद्यम का स्तर	क्षेत्र की श्रेणी	अनुदान की मात्रा		
		अनुदान की अवधि (वर्षो में)	अनुदान का प्रतिशत	अनुदान की वार्षिक अधिकतम सीमा (राशि रू लाख में)
सूक्ष्म एवं लघु उद्योग	अ	7	50	20
	ब	8	50	25
	स	9	60	35
	द	11	70	45
मध्यम वृहद उद्योग	अ	6	35	35
	ब	7	40	45
	स	9	60	55
	द	11	70	55

2. **स्थायी पूंजी निवेश अनुदान :-**

उद्यम का स्तर	क्षेत्र की श्रेणी	अनुदान की मात्रा	
		स्थायी पूंजी निवेश पर अनुदान का प्रतिशत	स्थायी पूंजी निवेश अनुदान की वार्षिक अधिकतम सीमा (राशि रू लाख में)
सूक्ष्म उद्योग	अ	35	15
	ब	40	18
	स	45	20
	द	55	24

3. नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) प्रतिपूर्ति–
(केवल लघु, मध्यम स्टार्टअप इकाईयों हेतु)

क्षेत्र की श्रेणी	प्रतिपूर्ति का विवरण
अ	वाणिज्यिक उत्पादन/कार्य प्रारंभ करने के दिनांक से 9 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 45 प्रतिशत
ब	वाणिज्यिक उत्पादन/कार्य प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 50 प्रतिशत
स	वाणिज्यिक उत्पादन/कार्य प्रारंभ करने के दिनांक से 12 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 65 प्रतिशत
द	वाणिज्यिक उत्पादन/कार्य प्रारंभ करने के दिनांक से 15 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 100 प्रतिशत

4. विद्युत शुल्क छूट :–

क्षेत्र की श्रेणी	विवरण
अ	वाणिज्यिक उत्पादन/कार्य प्रारंभ करने के दिनांक से 06 वर्ष तक पूर्ण छूट
ब	वाणिज्यिक उत्पादन/कार्य प्रारंभ करने के दिनांक से 08 वर्ष तक पूर्ण छूट
स	वाणिज्यिक उत्पादन/कार्य प्रारंभ करने के दिनांक से 09 वर्ष तक पूर्ण छूट
द	वाणिज्यिक उत्पादन/कार्य प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक पूर्ण छूट

5. भूमि के क्रय/लीज पर स्टाम्प शुल्क से पूर्ण छूट।

6. सावधि ऋण पर तीन वर्ष तक स्टाम्प शुल्क से छूट।

7 (1)परियोजना प्रतिवेदन अनुदान – मान्य स्थायी पूंजी निवेश का एक प्रतिशत, अधिकतम रूपये 2.50 लाख,

(2)गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान– प्रमाणीाकरण प्राप्त करने हेतु किये गये व्यय का 50 प्रतिशत अधिकतम रूपये 05 लाख।

(3)तकनीकी पेटेंट अनुदान– पेटेंट प्राप्त करने हेतु किये गये व्यय का 50 प्रतिशत अधिकतम रूपये 10 लाख ।

(4)प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान– प्रौद्योगिकी क्रय हेतु किये गये व्यय का 50 प्रतिशत अधिकतम रूपये 10 लाख ।

(5)औद्योगिक पुरस्कार योजना– स्टार्ट अप इकाईयों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कारों की राशि रू 1,51,000, 1,00,000 एवं 51,000 एवं प्रशस्ति पत्र दिया जावेगा।

(6)राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय योजना में भाग लेने हेतु अनुदान– छत्तीसगढ़ के स्टार्ट अप को प्रोत्साहित करने हेतु उद्योग संचालनालय द्वारा पूर्वानुमति प्राप्त एक अथवा अधिक राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सेमीनार/ वर्कशॉप/संगोष्ठी/प्रदर्शनी में भाग लिये जाने पर

50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जावेगी, जिसकी अधिकतम सीमा एक बार में देश में रू. 15,000/- एवं देश के बाहर रू. 30,000/- तथा रू. 1,00,000/- प्रतिवर्ष की सीमा तक होगी।

8. उद्योग विभाग/सीएसआईडीसी के औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक पार्कों में भूमि आबंटन पर सभी स्टार्ट अप को भू-प्रब्याजी में 50 प्रतिशत छूट दी जायेगी।

9. छत्तीसगढ़ में लगने वाले स्टार्ट अप को प्रारंभिक वर्षो के लिये श्रम कानूनों में Self Certification के द्वारा अनुपालन की व्यवस्था लागू की जावेगी।

10. स्टार्ट-अप पैकेज के लिये औद्योगिक नीति 2019-24 के अनुदान एवं छूट के अतिरिक्त निम्नांकित अनुदान एवं छूट भी दी जायेगी :-

10.1 **किराया अनुदान -**

छत्तीसगढ़ में स्थापित होने वाले **स्टार्ट-अप इकाईयों** को वैध रहने पर 03 वर्षों तक, किराए के भवन में स्टार्ट अप एकक/इकाई स्थापित करने की दशा में, भुगतान किये गये मासिक किराये का 40 प्रतिशत अथवा 8 रू. प्रति वर्गफुट, जो भी न्यूनतम हो, प्रति माह अधिकतम राशि रू. 8000/- की प्रतिपूर्ति प्रत्येक तिमाही में अनुदान के रूप में की जायेगी।

10.2 **इनक्यूबेशन हेतु किराया अनुदान -**

छत्तीसगढ़ में स्थापित होने वाले स्टार्ट-अप इकाईयों को वैध रहने पर 03 वर्षों तक, इन्क्यूबेटर द्वारा दी गई सीट का किराया का भुगतान किये जाने पर मासिक किराये का 40 प्रतिशत अथवा रू. 8/- प्रति वर्गफुट, जो भी न्यूनतम हो, प्रतिमाह अधिकतम राशि रू. 8,000/- की प्रतिपूर्ति प्रत्येक तिमाही में अनुदान के रूप में की जावेगी।

11. स्टार्ट-अप को प्रोत्साहन हेतु इन्क्यूबेटर्स की स्थापना हेतु अनुदान :-

11.1 न्यूनतम 5000 वर्ग फुट क्षेत्र में स्थापित इन्क्यूबेटर्स की स्थापना जिला रायपुर, दुर्ग एवं बिलासपुर मे किये जाने पर किये गये व्यय का 40 प्रतिशत अधिकतम राशि रूपये 50 लाख।

11.2 न्यूनतम 5000 वर्ग फुट क्षेत्र में स्थापित इन्क्यूबेटर्स की स्थापना अन्य जिलों (रायपुर, दुर्ग एवं बिलासपुर को छोड़कर) मे किये जाने पर किये गये व्यय का 50 प्रतिशत अधिकतम राशि रूपये 50 लाख।

11.3 इन्क्यूबेटर्स की स्थापना पश्चात् संचालन हेतु अधिकतम 03 वर्ष जिला रायपुर, दुर्ग एवं बिलासपुर एवं 05 वर्ष अन्य जिलों (रायपुर, दुर्ग एवं बिलासपुर को छोड़कर) के लिए अधिकतम राशि रू 03 लाख प्रति वर्ष।

12. राज्य के अनुसूचित जनजाति/जाति वर्ग के उद्यमी, महिला उद्यमी, भारतीय सेना से सेवा निवृत्त राज्य के सैनिक एवं नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति / परिवार एवं निःशक्तों द्वारा स्थापित स्टार्टअप को 10 प्रतिशत अधिक अनुदान तथा छूट से संबंधित प्रकरणों में 01 वर्ष अधिक की छूट दी जायेगी।

13. भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में पंजीकृत एवं वैध स्टार्ट अप यूनिट अनुमोदन के पश्चात् पात्रता अनुसार

सिंगल विण्डो सुविधा के माध्यम से ऑनलाईन उद्यम आकांक्षा में पंजीयन प्राप्त करेगी, जिससे उन्हें राज्य शासन द्वारा दी जा रही ऑनलाईन अनुमतियां एवं सुविधायें आसानी से उपलब्ध होगी।

14. स्टार्ट-अप एकक/इकाईयों को विभिन्न आरंभिक कार्यवाहियों के लिए सहयोग एवं मार्गदर्शन देने के उद्देश्य से ऑनलाईन तथा प्रत्यक्ष संपर्क हेतु उद्योग संचालनालय में स्टार्ट-अप प्रकोष्ठ गठित किया जाएगा जो कि उद्देश्य के अनुरूप स्टार्टअप इकाईयों को सहायता करेगा।

15. स्टार्ट-अप एकक/इकाईयों को प्रारंभिक तीन वर्षों के लिए स्वप्रमाणन के आधार पर श्रम, वाणिज्यिक कर तथा पर्यावरण संबंधी नियमों के अनुपालन की व्यवस्था किये जाने के प्रयास किये जाएंगे।

16. स्टार्ट-अप एकक/इकाईयों की स्थापना के लिए पात्रता के अनुसार प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना एवं मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत बैंकों से ऋण लेने के लिए संपर्श्विक जमानत के विकल्प के रूप में क्रेडिट गारन्टी फण्ड योजना का अंशदान शासन द्वारा वहन किया जाता है।

17. प्रदेश की औद्योगिक इकाईयों विशेषतः सार्वजनिक उपक्रम इकाईयों को सामाजिक उत्तरदायित्व नीति के अंतर्गत स्टार्टअप इकाईयों की स्थापना हेतु कैंप के आयोजन एवं शुश्रुषा हेतु इन्क्यूबेटर एवं वोकेशनल ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट स्थापित करने हेतु प्रेरित किया जाएगा।

18. प्रदेश में स्टार्ट-अप इकाईयों के चयन एवं विकास के लिए समय-समय पर स्टार्ट अप फेस्ट (मेले) आयोजित किए जायेंगे, जिसमें नवागंतुक स्टार्टअप उद्यमी एवं इच्छुक निवेशकों को एक प्लेटफार्म प्राप्त हो।

19. प्रदेश की शैक्षणिक संस्थाओं से समन्वय कर स्टार्टअप इकाईयों हेतु आवश्यक मार्गदर्शन की व्यवस्था बनाने का प्रयास किया जायेगा।

20. स्टार्ट-अप इकाईयों को नवीन उत्पाद/सेवायें उपलब्ध कराने हेतु प्रेरित करने के लिए प्रदेश की औद्योगिक इकाईयों से समन्वय कर नवाचार हेतु प्रेरित किये जाने का प्रयास किया जायेगा जिससे औद्योगिक इकाईयों में उत्पाद बनाने में अभिनवीकरण एवं मूल्य संवर्धन हो सके।

21. उक्त पैकेज के लिये औद्योगिक नीति 2019-24 में दी गई परिभाषायें मान्य होंगी।

22. इस पैकेज का लाभ लेने पर स्टार्टअप को राज्य शासन से अन्य समान प्रकृति (चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो) के लाभ प्राप्त नहीं होंगे। इसी प्रकार से भारत शासन से समान प्रकृति (चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो) को लाभ प्राप्त है तो वह लाभ राज्य शासन से प्राप्त नहीं होंगे।

23. इस पैकेज के तहत पात्र स्टार्टअप इकाईयों को उक्त अनुसार अनुदान छूट एवं रियायतें प्राप्त होंगे, चाहे वह सामान्य वर्ग का निवेशक को या अनुसूचित जाति/जनजाति, अप्रवासी भारतीय, एफ.डी.आई निवेशक, निर्यातक, महिला या नक्सल प्रभावित हो, चाहे विकासशील क्षेत्र में हो या पिछड़े क्षेत्र में हो।

24. इस पैकेज का लाभ इकाई को तब तक ही प्राप्त होगा जब तक कि वह स्टार्टअप के रूप में रहती है अर्थात उसे 10 वर्ष से अधिक का समय न हुआ हो तथा वित्तीय वर्ष के अंत में उसका टर्नओवर रूपये 100 करोड़ से अधिक न हुआ हो। इसका अर्थ यह है कि 10 वर्ष से अधिक का समय हो जाने अथवा वित्तीय वर्ष के अंत में उसका टर्नओवर रूपये 100 करोड़ से अधिक हो जाने पर आगामी वित्तीय वर्ष से इकाई स्टार्टअप पैकेज का लाभ लेने के लिये अपात्र हो जायेगी।

25. पैकेज की स्वीकृति देने के पूर्व स्वीकृति देने वाले अधिकारी को स्टार्टअप इंडिया वेबसाईट पर Validate Startup Recognition में इकाई के वैध स्टार्टअप होने की पुष्टि करना आवश्यक होगा।

26. <u>अन्य कार्यकारी निर्देश :-</u>

(26.1) औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत घोषित इस पैकेज में निर्धारित आधिक्य में प्रदान दिये जाने वाली घोषित विशेष आर्थिक निवेश प्रोत्साहन सुविधाओं के अतिरिक्त अन्य समस्त प्रशासनिक नियम, शर्तें एवं प्रावधान योजना के क्रियान्वयन हेतु जारी की गई मूल अधिसूचनाओं में वर्णित प्रावधान यथा - आवेदन पत्र एवं अन्य आवश्यक प्रपत्र एवं स्वीकृति तथा वितरण/ प्रमाण पत्र जारी किये जाने की प्रक्रिया आदि योजनाओं की छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के द्वारा जारी मूल अधिसूचनाओं के अनुरूप होगी।

(26.2) औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत घोषित इस पैकेज में निर्धारित आधिक्य में प्रदान दिये जाने वाली घोषित स्टाम्प ड्यूटी छूट हेतु समस्त प्रशासनिक नियम, शर्तें एवं प्रावधान योजना के क्रियान्वयन हेतु जारी मूल अधिसूचना में वर्णित प्रावधान यथा - आवेदन पत्र एवं अन्य आवश्यक प्रपत्र एवं स्वीकृति तथा वितरण/ प्रमाण पत्र जारी किये जाने की प्रक्रिया आदि योजनाओं की छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिककर (पंजीयन) विभाग के द्वारा जारी अधिसूचनाओं के अनुरूप होगी।

(26.3) औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत घोषित इस पैकेज में निर्धारित आधिक्य में प्रदान दिये जाने वाली घोषित भू-उपयोग में परिवर्तन शुल्क में छूट हेतु समस्त प्रशासनिक नियम, शर्तें एवं प्रावधान योजना के क्रियान्वयन हेतु जारी मूल अधिसूचना में वर्णित प्रावधान यथा - आवेदन पत्र एवं अन्य आवश्यक प्रपत्र एवं स्वीकृति तथा वितरण/ प्रमाण पत्र जारी किये जाने की प्रक्रिया आदि योजनाओं की छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा जारी अधिसूचनाओं के अनुरूप होगी।

(26.4) औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत घोषित इस पैकेज में निर्धारित आधिक्य में प्रदान दिये जाने वाली घोषित विद्युत शुल्क छूट हेतु समस्त प्रशासनिक नियम, शर्तें एवं प्रावधान योजना के मूल क्रियान्वयन हेतु जारी अधिसूचना में वर्णित प्रावधान यथा - आवेदन पत्र एवं अन्य आवश्यक प्रपत्र एवं स्वीकृति तथा वितरण/ प्रमाण पत्र जारी किये जाने की प्रक्रिया आदि योजनाओं की छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग के द्वारा जारी अधिसूचनाओं के अनुरूप होगी।

27 **स्वप्रेरणा से निर्णय :–**

राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, प्रमुख सचिव/सचिव/उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग किसी भी अभिलेख को बुला सकेंगे/स्वयं के निर्णय की समीक्षा कर सकेंगे तथा ऐसे आदेश पारित कर सकेंगे जैसा कि वे नियमानुसार उचित समझें, परन्तु अनुदान को निरस्त करने या उसमें कमी करने के पूर्व प्रभावित पक्ष को सुनवाई का एक अवसर अवश्य दिया जावेगा।

28 **कार्यकारी निर्देश :**

अधिसूचना के अन्तर्गत आवश्यक कार्यकारी निर्देश जारी करने हेतु उद्योग आयुक्त /संचालक उद्योग सक्षम होंगें । अनुदान से संबंधित किसी मुद्दे पर जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों द्वारा मार्गदर्शन मांगे जाने पर उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय द्वारा मार्गदर्शन दिया जावेगा।

29 नियमों की व्याख्या, अनुदान की पात्रता या अन्य विवाद की दशा में राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

30 इस योजना के अन्तर्गत कोई वाद होने पर राज्य के न्यायालय में ही वाद दायर किया जा सकेगा ।

31 **योजना का कियान्वयन**

योजना का कियान्वयन उद्योग संचालनालय व उनके अधीनस्थ जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों द्वारा किया जावेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मनोज कुमार पिंगुआ)
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

पृष्ठा. क्र. एफ 20–90/2019/11/(6) नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 17 सितम्बर,2021

प्रतिलिपि :–

1. संचालक, उद्योग संचालनालय (छ0ग0), भूतल, उद्योग भवन, रायपुर।
2. प्रबंध संचालक, सीएसआईडीसी, प्रथम तल, उद्योग भवन रायपुर।
3. मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र .....
   .....(छ.ग.)।

   -- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. नियत्रंक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, छत्तीसगढ़ राजनांदगांव की ओर अग्रेषित कर निवेदन है कि उपर्युक्त अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र के आगामी अंक में मुद्रित करवाकर 250 प्रतियों इस विभाग को कृपया उपलब्ध करायें।

प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग